

प्रेषक,

नीता चौधरी,  
प्रमुख सचिव,  
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

- |  |   |
|--|---|
| (1) महानिदेशक,<br>चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,<br>उत्तर प्रदेश लखनऊ।                                       | (2) महानिदेशक,<br>परिवार कल्याण,<br>उत्तर प्रदेश लखनऊ।                            |
| (3) निदेशक (प्रशासन),<br>चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,<br>उत्तर प्रदेश लखनऊ।                                | (4) समस्त मण्डलीय अपर निदेशक,<br>चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,<br>उ0प्र0। |
| (5) समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,<br>उ0प्र0।   |   |
| (6) समस्त प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका<br>जिला महिला/पुरुष/संयुक्त/मण्डलीय चिकित्सालय,<br>उ0प्र0। |   |

चिकित्सा अनुभाग-2

लखनऊ :: दिनांक 02 जून, 2011

विषय:-प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्साधिकारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्ट अंकन के संबंध में।

महोदय,


उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में कार्यरत चिकित्सकों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियां अंकित करने के संबंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निर्धारित प्रारूप की प्रति संलग्न करते हुए आपसे अनुरोध है कि कृपया संलग्न प्रारूप के अनुसार ही चिकित्सकों की गोपनीय वार्षिक प्रविष्टियों का अंकन किया जाय (संलग्नक-1)। यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा। यह प्रारूप 04 भाग में है। भाग-1 स्वमूल्यांकन, भाग-2 प्रतिवेदक अधिकारी की टिप्पणी, भाग-3 समीक्षक अधिकारी द्वारा अभ्युक्ति, भाग-4 स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा अभ्युक्ति है। वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों का प्रारूप स्वास्थ्य विभाग की वेबसाईट पर भी उपलब्ध है।

2- मुख्य चिकित्साधिकारी तथा प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (पुरुष/महिला/संयुक्त चिकित्सालय) के लिए महत्वपूर्ण बिन्दुओं, जिनके संबंध में भाग-1 (स्वमूल्यांकन) में वार्षिक लक्ष्य तथा उसके सापेक्ष उपलब्धि का उल्लेख किया जाना है, भी संलग्न किया जा रहा है। (संलग्नक-2)

3- कृपया उक्त स्थिति से सर्व संबंधित को सूचित करते हुए उपर्युक्तानुसार चिकित्सकों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों का अंकन कराना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोक्त।

आज्ञा से,

  
(नीता चौधरी)  
प्रमुख सचिव।

## वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि

प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग, उत्तर प्रदेश  
के अधिकारियों के लिए

अधिकारी का नाम एवं वरिष्ठता क्रमांक :

लेबल :

प्रविष्टि की अवधि/वर्ष :

